



राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011

जयपुर, दिनांक

आदेश

5 NOV 2011

"प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नांकित आदेश जारी किये जाते हैं :—

(अ) जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर विकास न्यासों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

- | | | |
|------|---|-----------------|
| i- | संबंधित न्यास व जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष | — अध्यक्ष |
| ii. | सचिव/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण | — सदस्य |
| iii. | संबंधित न्यास का वरिष्ठतम अभियंता | — सदस्य कार्डनी |
| iv. | संबंधित न्यास का तहसीलदार | — सदस्य |
| v. | संबंधित न्यास का वरिष्ठतम नगर नियोजक | — सदस्य सचिव |

उक्त एम्पावर्ड कमेटी को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की शक्तियां तथा भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन हेतु नगर विकास न्यास या यथा स्थिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियां उपरोक्तानुसार नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है।

एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। किसी कारणवश उपरोक्त एम्पावर्ड समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में न्यास में सचिव एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त इस समिति की अध्यक्षता करेंगे एवं नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। उपरोक्त समिति का कार्यकाल अधिकतम 31.3.2013 तक ही रहेगा।

- (ब) 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय तथा 500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भवन मानचित्रों का अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु संबंधित नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति के स्थान पर न्यास के सचिव या जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक, नगर नियोजन जैसी भी स्थिति हो, को अधिकृत किया जाता है।
- (स) ले-आउट प्लान अनुमोदन का कार्य इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(90)नविवि / 3 / 2012 दिनांक 21.06.2012 के अनुच्छेद 15 के अनुसार गठित समिति द्वारा ही यथावत किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संघ)
प्रमुख शासन सचिव